न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 23/23

जीसीएमएस : 2023/177

1. जगमोहन पुत्र श्री सुभाषचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 11 टी.के. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुभाषचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 11 टी.के. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. सतपाल पुत्र श्री सुभाषचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 11 टी.के. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. पतराम पुत्र मु. हुक्माराम जाति जाट (ज्याणी) निवासी 12 टी.के. तह.रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. संस्थागत भूमियां माफी मन्दिर।
3. कृष्णलाल पुत्र रणजीत राम जाति बिष्नोई निवासी 12 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. गिरदावरी पत्नी श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 11 टी.के. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। (मृतक)
    1. रामप्रताप पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 11 टी.के. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
    2. राजेन्द्र पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
    3. सावित्री पुत्री श्री शंकरलाल पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी 26 बीबी तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
    4. द्रोपदी पुत्री शंकरलाल पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 23 पीटीडी तह. रायसिंहनगर (मृतक)।
        1. मुकेश पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 23 पीटीडी तह. अनूपगढ जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
        2. सुरेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 23 पीटीडी तह. अनूपगढ जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
        3. अनुसुईया पुत्री श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 23 पीटीडी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
5. खेमचन्द व शिवराम पिसरान श्री सन्तराम जाति वाल्मिकी निवासी 11 टी.के. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:— 25.05.2023

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री राजू राम ओझा प्रार्थी अधि.।
2. श्री ज्योतिश बि□नोई अधि. अप्रार्थी सं. 3।
3. श्री हरपाल सिंह सूदन अधि. अप्रार्थी सं. 1।
4. श्री अजीत कुमार सुथार अधित्र अप्रार्थी सं. 5।

——निर्णय—— **दिनांक 19.01.2026**

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थीगण के नाम से चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर का

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

मु0 नं0 69 प0 नं0 200/299 के किला नं. 1, 2/1, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13 ता 18 सालम, 19/1, 20/1, 21/1 व 22 ता 25 सालम कुल 5.261 है0 नहरी खातेदारी भूमि आती है जिस भूमि में आवागमन के लिए आबादी भूमि चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर से चक 12 टी.के तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 1 प0नं0 199/298 के किला नं0 1 तथा चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के मु0नं0 57 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 23 व 24 से होकर चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 57 के किला नं. 6, 15, 17, 23, 24 से काफी पुराना सुखाचार के तहत रास्ता चालू था। जिसमे भारतमाला सडक परियोजना बनने के कारण यह रास्ता प्रभावित होकर अवरूद्ध हो गया। जिसका प्रार्थी के अलावा उक्त चक के निवासीगण काफी अरसा से इस रास्ता में आवागमन करते है तथा सुखाचार के तहत इस मार्ग का उपयोग व उपभोग किया जा रहा है लेकिन अब चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर का मु0 नं0 69 प0 नं0 200/299 की कुल 5.261 है0 नहरी खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के नहरी खातेदारी भूमि आती हैं। जिस भूमि में आवागमन के लिए आबादी भूमि च.क 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर से चक 12 टी.के. तहसील रायसिंहनगर का मु0 नं0 1 प0 नं0 199/298 के किला नं0 1 तथा चक 11 टी.के तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 57 के किला नं. 6, 15, 16, 17, 23 व 24 के उक्त वर्णित काश्तकार अप्राथीगण द्वरा सुखाचार के तहत प्रयोग किए जाने वाले रास्ता को जिसमें भारतमाला सडक परियोजना बनने के कारण यह रास्ता प्रभावित होकर अवरूद्ध कर दिया है। इसलिए उक्त प्रस्तावित रास्ता भारतमाला के साथ साथ प्रत्येक में 2–2 बिस्वा प्रार्थीगण स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण के नाम चक 11 टी.के से चक 12 टी. के के मु0 नं0 1 प0नं0 199/298 के किला नं0 1 तथा चक 11 टी.के के मु0नं0 57 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 23 व 24 से काफी पुराना सुखाचार के तहत रास्ता चालू था। जिसमें भारतमाला सडक परियोजना बनने के कारण यह रास्ता प्रभावित होकर अवरूद्ध हो गया इसलिए भारतमाला के साथ साथ 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं क्योंकि प्रार्थीगण के अलावा आबादी चक 11 टी.के के निवासीगण द्वारा अपने अपने खेतों आवागमन के लिए यही रास्ता एक मात्र सरल व सुगम हैं जिसका काफी सालों से सुखाचार के तहत उपयोग व उपभोग किया जा रहा है तथा इसी रास्ता को भारतमाला के साथ साथ स्वीकृत कर दिया जाता हैं तो इससे प्रार्थीगण के अलावा चक 11 टी.के की आबादी के निवासीगण एवं चक के तमाम काश्तकारान को अपने–अपने रकबा में आवागमन में उक्त वांछित स्वीकृति हेतु प्रस्तावित रास्ता से आवागमन में सरलता होगी। अतः चक 11 टी.के से चक 12 टी. के के मु0 नं0 1 प0नं0 199/298 के किला नं0 1 तथा चक 11 टी.के के मु0नं0 57 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 23 व 24 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की तरफ से श्री ज्योतिष बिश्नोई अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब एवं वकालतनामा पेश कर कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि वाके चक 11 टी.के के मुरब्बा नं0 69 में आवागमन के लिए आबादी भूमि चक 11 टी.के से चक 12 टी.के के मु0नं0 1 पं0नं0 199/298 के किला नं0 1 से होते हुये चक 11 टी.के के मु0नं0 57 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 18, 23 व 24 में से कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है ना ही मौका पर चालू है, बल्कि सुखाचार के तहत गांव आबाद होने के समय से ही आबादी 11 टीके के नजदीक से गुजर रही रेल लाईनों के साथ साथ आम रास्ता चला आ रहा है जिससे ही आवेदकगण व अन्य काश्तकारान अपनी–अपनी भुमि में आते–जाते हैं उक्त रास्ता ही [illegible] अन्य काश्तकारान के लिए सरल ,सुगम व नजदीक, सुविधाजनक व उपयोगी है। इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हो रही सडक व पुल के दोनो ओर भी आवागमन हेतु [illegible] भूमि छोडी गई है। जिसका उपयोग भी आवागमन के लिए किया जा सकता है अलग से रास्ता स्वीकृति की आवश्यकता भी नही है। इसके अलावा मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अनावेदकगण लघु सीमान्त कृषिक है और अनवेदक सं0 1 पतराम के किला नं0 1 भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सडक व मिन अनावेदक सं0 3 कृष्ण लाल के किला नं0 23 व 24 में सडक/ओवरब्रिज पहले से ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाये जा चुके है और आवेदकगण द्वारा किला नं0 1–23–24 में से 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है जिससे मिन अनावेदकगण की भूमि कम होने से व आवेदक की भूमि की दूरी अधिक होने से मुआवजा के तौर पर भूमि प्राप्त न होने से अपूर्णीय क्षति होगी, चूंकि डी.एल.सी दर व बाजार कीमतों में आसमान का फर्क है क्योंकि बाजार कीमत लगभग 50 से 60 लाख रूपये प्रति बीघा वर्तमान में इस प्रकार चल रही है। अलग से रास्ता स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं है, इस संबंध में मौका मुआयना की विस्तृत रिर्पोट व नक्शा मंगवाया जाकर अवलोकन कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा जिससे प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय में मदद मिलेगी। आवेदन आवेदकगण मौजूदा स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है फिर भी माननीय न्यायालय मिन अनावेदकगण के भूमि से प्रस्तावित रास्ता पाने के लिये आवेदकगण को कानूनी रूप से हकदार पाता है तो उस दशा में मिन अनावेदकगण को मुआवजा के तौर पर सुविधानुसार व रास्ता में आई भूमि की कीमत व लोकेशन अनुसार भूमि दिलवायी जावे अथवा डी.एल.सी. की बजाये बाजार दर, जो वर्तमान में 50 से 60 लाख रूपये प्रति बीघा से अधिक है, को मध्यनजर रखते हुये मुआवजा दिलाया जाना न्यायोचित होगा अन्यथा सूरत में मिन अनावेदकगण के साथ गैरइंसाफी होगी। अतः जबाव आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदक मौजूदा स्तर पर खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही व विशेष हर्जाना मिन अनावेदकगण को आवेदक से दिलाया जावें। अप्रार्थी संख्या 5 की तरफ से श्री अजीत कुमार सुथार ने प्रार्थना पत्र जवाब पेश कर कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि वाके चक 11 टी.के के मुरब्बा नं0 69 में आवागमन के लिए आबादी भूमि चक 11 टी.के से चक 12 टी.के के मु0नं0 1 पं0नं0 199/298 के किला नं0 1 से होते हुये चक 11 टी.के के मु0नं0 57 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 18, 23 व 24 में से कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है ना ही मौका पर चालू है, बल्कि सुखाचार के तहत गांव आबाद होने के समय से ही आबादी 11 टीके के नजदीक से गुजर रही रेल लाईनों के साथ साथ आम रास्ता चला आ रहा है जिससे ही आवेदकगण व अन्य काश्तकारान अपनी अपनी भुमि में आते जाते है उक्त रास्ता ही आवेदक व अन्य काश्तकारान के लिए सरल ,सुगम व नजदीक, सुविधाजनक व उपयोगी है। इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हो रही सडक व पुल क दोनो और भी आवागमन हेतू रास्ता के लिए भूमि छोडी गई है। जिसका उपयोग भी आवागमन के लिए किया जा सकता है, अलग से रास्ता स्वीकृति की आवश्यकता भी नही है। इसके अलावा मिन अनावेदकगण लघु सीमान्त कृषक व अनुसूचित जाति के है उनके पास मात्र 0.541 है0 भूमि मु0 नं0 57 चक 11 टी.के में है जिसके किला नं0 6 में से 2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है जिससे मिन अनावेदकगण की भूमि कम होने से व आवेदक की भूमि की दूरी अधिक होने से मुआवजा के तौर पर भूमि प्राप्त न होने से अपूर्णीय क्षति होगी, चूंकि डी.एल.सी दर व बाजार कीमतों में आसमान का फर्क है क्योंकि बाजार कीमत लगभग 50 से 60 लाख रूपये प्रति बीघा वर्तमान में इस प्रकार की भूमि के लिये जा रहे है। आवेदकगण द्वारा अपनी वर्णित भूमि वाके चक 11 टी.के के मुरब्बा नं0 69 में आवागमन के लिए आबादी भूमि चक 11 टी.के से चक 12 टी.के के मु0नं0 1 पं0नं0 199/298 के किला नं0 1 से होते हुये चक 11 टी.के के मु0नं0 57 के किला नं0 6–15–16–17–18–23 व 24 में से कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है ना ही मौका पर चालू है, बल्कि सुखाचार के तहत गांव आबाद होने के समय से ही आबादी 11 टीके के नजदीक से गुजर रही रेल लाईनों के साथ साथ आम रास्ता चला आ रहा है जिससे ही आवेदकगण व अन्य काश्तकारान अपनी अपनी भुमि में आते जाते है उक्त रास्ता ही आवेदक व अन्य काश्तकारान के लिए सरल ,सुगम व नजदीक, सुविधाजनक व उपयोगी है। इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना भी न्यायोचित होगा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हो रही सडक व पुल क दोनो और भी आवागमन हेतू रास्ता के लिए भूमि छोडी गई है। जिसका उपयोग भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

आवागमन के लिए किया जा सकता है, अलग से रास्ता स्वीकृति की आवश्यकता भी नही है, इस संबंध में मौका मुआयना की विस्तृत रिर्पोट व नक्शा मंगवाया जाकर अवलोकन कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा जिससे प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय में मदद मिलेगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना मौजूदा स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है फिर भी माननीय न्यायालय मिन अनावेदकगण की भूमि से प्रस्तावित रास्ता पाने के लिये आवेदकगण को उनकी भूमि से चिपती भूमि मुआवजा के तौर पर दिलवायी जावे अथवा डी.एल.सी की बजाये बाजार दर, जो वर्तमान में 50 से 60 लाख रूपये प्रति बीघा है, को मध्यनजर रखते हुये मुआवजा दिलाया जाना न्यायोचित होगा अन्यथा सूरत में मिन अनावेदकगण के साथ गैरइंसाफी होगी। आवेदन आवेदकगण निर्धारित प्रारूप विधिक प्रकिया व प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः जबाव आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदकगण मौजूदा स्तर पर खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही व विशेष हर्जाना मिन अनावेदकगण को आवेदक से दिलाया जावें।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/ 2024/250 दिनांक 22.05.2024 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार **NHAI** के अलावा नहीं हैं उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी द्वारा एतराज करने पर पुनः मौका रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर मंगवाई गई। तहसीलदार रायसिंहनगर ने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1606 दिनांक 29.07.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 11 टीके खाता संख्या 159 प0नं0 200/299 मु0नं0 69 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 5.2611 नहरी भूमि जगमोहन–राजेन्द्रकुमार–सतपाल पि0 सुभाषचन्द्र जाति बिश्नोई खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण के नाम चक 12 टीके खाता संख्या 73 प0नं0 199/298 मु0नं0 1 के किला नं0 1/2, 2, 9, ता 12, 19 ता 23 की कुल 2.7613 है0 नहरी भूमि पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन देह व चक 11 टीके खाता संख्या 229 प0नं0 200/298 मु0नं0 57 के किला नं0 4/1, 5/1, 6/1, 7/1 की 0.5412 है0 नहरी भूमि सुमित्रा पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल साकिन 11 टीके व इसी चक व इसी मु0नं0 57 के किला नं0 9 सालम, 10/1/0.228, 10/2/0.025 खाला 11/1/0.228,11/2/0.025 खाला 12 सालम, 13/1/0.2489, 14/1/0.040, 14/2/0.0035, 15/1/0.209 कुल 1.5134 है0 नहरी मय खाला भूमि गिरदावरी पत्नी शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी मु0नं0 57 किला नं0 16/0.253, 17/1/0.099, 18/1/0.1425, 19/0.253, 20/0.228 है0 नहरी भूमि संस्थागत भूमिया माफी मन्दिर दर्ज रिकॉर्ड है। तथा इसी मु0नं0 57 के किला नं0 21/0.228 है0 22/1/0.2363, 23/1/0.0100, 24/1/0.2296, 25/0.253 कुल 0.9796 है0 नहरी भूमि कृष्णलाल पुत्र रणजीतराम जाति बिश्नोई साकिन 12 टीके खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 12 टीके पं0नं0 199/298 मु0नं0 01 किला 01 तथा चक 11 टीके प0नं0 200/298 मु0नं0 57 किला नं0 6–15–16–17–23–24 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता की मांग की है। मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अधिकतम दूरी पर है व मौके पर चालू नहीं है प्रार्थी को अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 12 टीके के मु0नं0 1 के किला नं0 01 में दो बिस्वा तथा चक 11 टीके के मु0नं0 57 के किला नं0 6–15–16–25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत रास्ता से निकटतम दूरी पर है। अतः चक 12 टीके के मु0नं0 01 के किला नं0 01 में दो बिस्वा तथा चक 11 टीके के मु0नं0 57 के किला नं0 6–15–16–25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. प्रार्थी पतराम के जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र आ. 1 नि. 1(2) धारा [illegible] सीपीसी पेश करने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी [illegible] निस्तारित किया गया।

5. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता नहीं है खेत में आने के लिए अन्य विकल्प भी है परन्तु प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे।

6. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार/भू.अभि.निरीक्षक/पटवार हल्का की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपने खेत में आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है परन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को अत्यंत आवश्यकता होने पर रास्ता दिये जाने का प्रावधान है पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट पर एतराज पेश करने पर मौका देखा गया। मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता में संस्थागत भूमिया माफी मंदिर के नाम दर्ज है भारत माला की भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया नहीं जा सकता है प्रार्थीगण अपनी स्वयं की सुविधा मात्र के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क अन्तर्गत अगर प्रार्थीगण के पास आने–जाने के लिए एवं काश्त करने के लिए रास्ता नहीं होने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जाता है मौका निरीक्षण एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की मुताबिक जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की रास्ता की मांग आवश्यक श्रेणी की नहीं है अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधि संमत नहीं है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested